<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक-766 / 14</u> संस्थित दिनांक-22.08.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड

---- <u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

नरसिंह निषाद पिता हरिश्चंद निषाद, उम्र ४७ वर्ष, निवासी वार्ड नं. ३४, सरस्वती नगर, थाना सी.टी. कोतवाली, जिला—दुर्ग (छ०) ————— **अभियुक्त**

<u>निर्णय</u>

<u>(आज दिनांक 22 / 08 / 2014 को घोषित)</u>

निष्कर्ष

अभियुक्त के विरूध्द आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा—279, 337 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के आरोपों में दोषसिध्दि कर धारा—279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के विधान में क्रमशः 1,000/—रू., 500/—रू., कुल 1,500/—रू. (एक हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15—15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा वाहन क्रमांक—सी.जी.07 ई. 0662 कागजात को उसके रजिस्टर्ड सुपुर्दनामा पर है। अतः सुपुर्दनामा निरस्त किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट